मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्र./F1-28 /2009/20-1 भोपाल, दि. 26/6/09

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
3. समस्त आयुक्त नगर निगम,
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
5. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिवासी विकास,
6. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत,
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,
   मध्यप्रदेश।

विषय : नवनियुक्त संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 1, 2 तथा 3 की नियोजन उपरांत पदभार ग्रहण के संबंध में।

वर्तमान में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 1, 2 तथा 3 की नियोजन की प्रक्रिया संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी स्तर पर प्रचलन में है। विगत वर्ष की गई संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती के उपरांत यह तथ्य परिलक्षित हुआ था, कि कतिपय प्रकरणों में संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति उपरांत पदस्थापना स्वीकृत/रिक्त पदों तथा विषयवार/विषय समूहवार रिक्त पदों पर नहीं की गई थी। जिससे शाला की आवश्यकता अनुसार संविदा शाला शिक्षकों का पदांकन नहीं होने से इसका लाभ प्रदेश के छात्र–छात्राओं को समुचित रूप से प्राप्त नहीं हो सका। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम 2005 के नियम 4 (1) में संविदा शाला शिक्षक की रिक्तयों का ऑकलन करने का प्रावधान कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति का है। चिन्हांकित रिक्त पदों पर ही विषयवार/विषय समूहवार पदस्थापना करने का दायित्व नियुक्तकर्ता अधिकारी का है। यह भी देखने में आया है कि नव नियुक्त संविदा शाला शिक्षक जब अपनी पदस्थापना वाली शाला में पहुँचते हैं तो उन्हें यह स्पष्ट नहीं होता है कि वे किस प्रकार अपना कार्य संपादित करें तथा अनेक शालाओं में इन नव नियुक्त संविदा शिक्षकों को मार्गदर्शन देने वाला कोई योग्य शिक्षक भी उपलब्ध नहीं रहता है। अतः वर्तमान में जारी संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन के उपरांत संबंधित शाला में पदभार ग्रहण के पूर्व निम्नानुसार कार्यवाही की जाये :–

1. नियुक्तकर्ता अधिकारी नियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन की कार्यवाही चिन्हांकित विषय/विषय समूहवार स्वीकृत/रिक्त पदों पर नियम 6 (13) अनुसार अंतिम चयन सूची से नियुक्ति आदेश जारी करेंगे। जिसकी प्रति जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को पृष्ठांकित की जावेगी।

2. नियुक्ति आदेश में यह उल्लेख किया जायेगा कि नव नियुक्त संविदा शाला शिक्षक अपनी उपस्थिति जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के कार्यालय में प्रथमतः दर्ज करायेगा। इस दिनांक से ही उसकी उपस्थिति पदांकित शाला में मान्य होगी।

3. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त यह सुनिश्चित करेगा कि नवनियुक्त संविदा शाला शिक्षक की पदस्थापना चिन्हांकित शाला में विषयवार/विषय समूहवार स्वीकृत/रिक्त पद पर हुई है अथवा नहीं। नहीं होने की दशा में संबंधित संविदा शाला शिक्षकों के पदस्थापना का प्रकरण पुनः नियुक्तकर्ता अधिकारी को संशोधन के लिये प्रेषित करेंगे।

PTO

4. ऐसे संविदा शाला शिक्षक जिनकी पदस्थापना चिन्हांकित शाला में विषयवार/विषय समूहवार स्वीकृत/रिक्त पद पर हुई है उनका पंजीकरण आनलाईन **एज्यूकेशन पोर्टल** पर किया जाकर उन्हें **यूनिक आईडी** आवंटित करेगा तथा ई-सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि कराएगा।

5. कंडिका 4 में उल्लेखित कार्यवाही करने के उपरांत संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में नवनियुक्त संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 को जिला परियोजना समन्वयक के माध्यम से तथा श्रेणी-1 एवं हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त संविदा शिक्षक श्रेणी-2 को जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त स्वयं एक दिवसीय सामान्य प्रशिक्षण (विभाग के नियमो एवं अकादमिक दायित्वो से संबंधित) आयोजित कराने के उपरांत संबंधित शाला में कार्यभार ग्रहण करने के लिये संबंधित संकुल प्राचार्य/प्राचार्य को यथा स्थिति कार्य मुक्त करेगा। इसी समय उन्हें नवनियुक्त संविदा शिक्षकों को मार्गदर्शिका तथा उनसे संबंधित दिशा-निर्देशों की प्रति भी उपलब्ध कराई जाएगी।

नवनियुक्त संविदा शाला शिक्षकों को संबंधित शाला में पदभार ग्रहण करने के पूर्व उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(एस. एन. शर्मा)
उप सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र./F 1-28/2009/20-1 भोपाल, दि. 26/6/09

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्व संभाग, म.प्र.।
6. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, भोपाल, म.प्र।
7. आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, म.प्र।
8. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल, म.प्र।
9. आयुक्त, जनसंपर्क म.प्र. भोपाल।
10. समस्त संभागिय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

उप सचिव 26/6/09
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग